उत्तर प्रदेश सरकार

पशु पालन विभाग

विविध

24 जून, 1964 ई0

सं0 248/12ई0 जी–ई–सी (37)––55 यू0 पी0 जनरल ऐक्ट, 1904 (यू0 पी0 ऐक्ट सं0–1, 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0, 1, 1956) की धारा 10 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियमावली, 1956 का अतिक्रमण करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:––

(उत्तर प्रदेश गोवध निवारण धिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 1 की धारा–10 के अधीन दिनांक 20–9–79 तक संशोधित नियमावली)

नियमावली

1––**संक्षिप्त शीर्ष नाम और प्रारम्भ**––(1) यह नियमावली उ0 प्र0 गोवध निवारण नियमावली, 1964 कहलायेगी

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगी।

2––**परिभाषायें**––विषय या प्रसंग को कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में––

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश गोवध निवारण प्रधिनियम, 1955 से है,

(ख) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली की अनुसूची में दिये गये प्रपत्र से है,

(ग) "लाइसेन्स प्राधिकारी" का तात्पर्य जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा इस नियमावली के अधीन लाइसेन्स प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से है.

(घ) "चिकित्सकीय प्रयोजन" का तात्पर्य रोगी के भोजन में अथवा औषधि के लिये, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति किया जाय, गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ के प्रयोग से है, और

(ङ) "स्थानीय प्राधिकारी", के अन्तर्गत गांव सभा भी है।

3––कोई व्यक्ति जो किसी सांड़ या बैल का बध करना चाहता हो या बध कराना चाहता हो अथवा बध करने के लिये देना चाहता हो या बध कराने के लिये देना चाहता हो तो वह उस क्षेत्र के, जिसमें सांड़ या बैल का बध किया जाना हो, सक्षम प्राधिकारी को इस बात का एक प्रमाण-पत्र जारी करने के निमित्त कि सांड़ या बैल बध किये जाने के लिये उपयुक्त है, प्रपत्र "क" में प्रार्थना-पत्र देगा।

4––प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी साड़ या बैल का निरीक्षण करने के लिये उसे निर्दिष्ट स्थान पर प्रस्तुत करने के निमित्त कोई दिनांक निश्चित करेगा और इसकी सूचना प्रार्थी को देगा।

5––सांड़ या बैल का परीक्षण, करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी या तो प्रपत्र 'ख' में एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा अथवा उसे जारी करने से इंकार करेगा। दोनों ही दशाओं में वह कारणों को प्रार्थना-पत्र पर अभिलिखित करेगा।

6––कोई व्यक्ति जिसकी गाय, सांड़ या बैल किसी सांस्पर्शिक अथवा सांसर्गिक रोग से पीड़ित हो अथवा उसे उसके स प्रकार पीड़ित होने का विश्वास हो तो वह निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी या सहायक पशु चिकित्सक को इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि गाय, सांड़ या बैल वास्तव में ऐसे रोग से पीड़ित है अथवा नहीं प्रपत्र 'ग' में एक प्रार्थना-पत्र देगा।

7––पशुचिकित्सा अधिकारी या सहायक पशु चिकित्सक पहले से निश्चित और प्रार्थी को सूचित किये गये दिनांक को तथा स्थान पर पशु की जांच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि पशु राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति किसी सास्पर्शिक अथवा सांसर्गिक रोग से पीड़ित है तो वह उसके बध के लिये प्रपत्र 'घ' में एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा। प्रत्येक दशा में वह अपना निष्कर्ष प्रार्थना-पत्र पर अभिलिखित करेगा।

8––प्रपत्र 'घ' में, प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसी गाय, सांड़ या बैल का स्वामी उसका बध या तो अपनी भूमि पर अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उक्त प्रयोजन के लिये संरक्षित स्थान पर कर सकता है अथवा करा सकता है।

9––जब किसी गाय, सांड़ या बैल का इस प्रकार बध किया जाय तो वह व्यक्ति जो ऐसे गाय, सांड़ या बैल को बध करे अथवा करवाये, बध किये जाने के 24 घंटे के भीतर उस अधिकारी को जिसने प्रपत्र 'घ' में प्रमाण-पत्र दिया हो, उस बध की सूचना प्रपत्र (ङ) में देगा।

10--ऐसी गाय, सांड़ या बैल का शव या तो उसके स्वामी की भूमि में अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिये संरक्षित स्थान पर गहरा गड़वा दिया जायगा ।

11--चिकित्सकीय एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य गवेषणा के हित में प्रयोगाधीन गाय, सांड़ या बैल का बध, उक्त अधिनियम के अधीन बिना प्रमाण-पत्र के दिये जाने पर, निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जायगा ।

(क) राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट को बध करने के दिनांक तथा स्थान की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व दी जायगी, और

(ख) एक रजिस्टर रखा जायगा जिसमें बध किये गये गाय, सांड़ तथा बैल के ब्योरे, उनके बध किये जाने का दिनांक तथा स्थान और किये गये प्रयोगात्मक या गवेषणात्मक कार्य दिये जायेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार लोकहित में किसी व्यक्ति को खंड (क) की अपेक्षाओं से मुक्त कर सकती है ।

12--कोई भी व्यक्ति प्रपत्र 'च' में लाइसेंस की शर्तों के अधीन और उसके अनुसार ही गोवध या गोमांसेज पदार्थ बेचेगा या परिवहन करेगा अथवा बेचने या परिवहन करने के लिये देगा अथवा उसे बिकवायेगा या परिवहन करायेगा।

13--कोई भी व्यक्ति जो प्रपत्र 'च' में लाइसेन्स प्राप्त करने या लाइसेंस का नवीकरण कराने का इच्छुक हो, लाइसेंस प्राधिकारी को एक लिखित प्रार्थना-पत्र देगा और लाइसेंस स्वीकृत या नवीकृत जैसी भी दशा हो, कर दिया जायेगा, जब तक कि लाइसेंस प्राधिकारी समुचित कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, उसे अस्वीकृत न कर दे ।

14--(1) उप नियम (2) और नियम 15 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लाइसेन्स उस वर्ष के अन्त तक, जिसमें वह स्वीकृत या नवीकृत किया गया हो, प्रचलित रहेगा ।

(2) लाइसेंस, लाइसेंसधारी की मृत्यु हो जाने पर या, यदि वह किसी फर्म या कम्पनी को स्वीकृत किया गया हो तो ऐसे फर्म या कम्पनी के कारोबार के समापन अथवा संक्रमण पर, समाप्त हो जायेगा ।

15--लाइसेंस प्राधिकारी, लाइसेंसदार को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने के लिये अवसर देने के पश्चात् और उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, लाइसेंस रद्द कर सकता है ।

16--**नये नियम 16 का बढ़ाया जाना [उ० प्र० सरकार पशुधन अनुभाग-1 संख्या-बारह-ई-1-27(3)/79 202-प-लखनऊ, दिनांक 20-9-79]**--(1) कोई व्यक्ति जो राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान को किसी गाय, सांड़ या बैल का जिसका उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर बध किया जाना इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है, परिवहन करने या परिवहन के लिये प्रस्तुत करने या परिवहन कराने का आशय रखता हो, विहित प्रपत्र "छ" में अनुज्ञा-पत्र के लिये लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदन-पत्र देगा ।

(2) लाइसेंस प्राधिकारी प्रति गाय, सांड़ या बैल के लिये 5 रु० (पांच रुपये) का शुल्क देने पर, जिसे कोषागार चालान के माध्यम से शीर्षक "110--पशुपालन--अ--अन्य प्राप्ति (6) प्रकीर्ण के अधीन जमा किया जाएगा, ऐसी अनुज्ञा-पत्र दे सकता है । यदि इस प्रकार परिवहित पशु को अनुज्ञा पत्र के जारी किये जाने के दिनांक से 6 मास की अवधि के भीतर राज्य में वापस लाया जाय तो 5 रुपये का शुल्क यदि उसकी वापसी का दावा किया जाय, अनुज्ञा-पत्र धारी को वापस कर दिया जायगा । परिवहन किये जाने के लिये आशाध्यात समस्त पशुओं को राज्य से परिवहन करने के पूर्व उनके दाहिने कान में गोदा लगाया जायेगा ।

(3) विधिमान्य अनुज्ञा-पत्र के बिना परिवहन किये गये गाय, सांड़ या बैल का अधिहरण किया जायगा और इन्हें नीलाम कर दिया जायगा और बिक्री के आगम को उपर्युक्त उपनियम (2) में दिये गये प्राप्ति शीर्षक के अधीन जमा किया जायगा और ऐसा व्यक्ति जो अनाधिकृत परिवहन कराता है, अधिनियम की धारा 8 के अधीन अभियोजित किया जायेगा ।

(4) उपनियम (2) में निर्दिष्ट अनुज्ञा-पत्र प्रपत्र 'ज' में होगा ।

(5) इस प्रकार परिवहन किये जा रहे गाय, सांड़ या बैल की उनके वापस लौटने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में अनुज्ञा पत्रधारी लाइसेंस प्राधिकारी को स्थानीय पशु चिकित्सक से मृत्यु प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करेगा, ऐसा न करने पर अधिनियम की धारा 8 के अधीन अभियोजन का भागी होगा ।

(6) ये नियम राज्य के बाहर पशु मेलों, प्रदर्शनियों और बाजारों को परिवहन किये गये गाय, सांड़ों या बैलों पर भी लागू होंगे । अनुज्ञा-पत्रधारी को ऐसे मेलों, प्रदर्शनियों और बाजारों के, प्रबन्धक से विक्रय प्रमाण,-पत्र लाइसेन्स प्राधिकारी को प्रपत्र 'झ' में प्रस्तुत करना होगा । ऐसा न करने पर वह अधिनियम की धारा 8 के अधीन अभियोजन का भागी होगा ।

(7) यदि किसी अन्य राज्य सरकार या राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त संस्था को गाय, सांड़ या बैल की आवश्यकता हो तो पशुओं के परिवहन के लिये ऐसा अनुज्ञा-पत्र उप नियम (2) के अधीन सम्बद्ध पक्ष द्वारा आयोजित शुल्क जमा करने पर दिया जायगा किन्तु आवेदन-पत्र सम्बद्ध राज्य सरकार के माध्यम से भेजना पड़ेगा ।

17--**नये प्रपत्र 'छ' प्रपत्र 'ज' और प्रपत्र 'झ' का बढ़ाया जाना**--उक्त नियमावली की अनुसूची में प्रपत्र 'च' के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र 'छ' प्रपत्र 'ज' प्रपत्र 'झ' बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्--

अनुसूची

प्रपत्र "क"

सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र

(नियम 3 देखिये)

सेवा में,

_____

(सक्षम प्राधिकारी)

महोदय,

प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरे——का (यहां पर पशु का रंग तथा लगभग आयु का वर्णन कीजिये) जो 15 वर्ष से अधिक आयु का है अथवा जो प्रजनन *भारवाहक **के प्रयोजन तथा किसी प्रकार की कृषि क्रिया के लिये अयोग्य तथा अनुपयोज्य है, परीक्षण कीजिये और मुझे उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 की धारा 3 की अपेक्षानुसार उक्त..... का वध करने के लिए एक प्रमाण-पत्र जारी कर दीजिये।

दिनांक—

भवदीय,

*सांड़ों की दशा में

प्रार्थी के हस्ताक्षर

**बैलों की दशा में

पता

(सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जायगा)

पशु को प्रस्तुत करने के लिये निश्चित दिनांक और स्थान————प्रार्थी को————द्वारा दिनांक————को सूचित किया गया,

दिनांक जब और स्थान वहां पर पशु का परीक्षण किया गया था————

अस्वीकृत किया गया। निम्नलिखित कारणों से वध करने के लिये उपयुक्त प्रमाणित किया जाता है।

_____

_____

_____

दिनांक————

सक्षम प्राधिकारी,

जिला————

———

प्रपत्र "ख"

वध करने के उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र

(नियम 5 देखिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि————

(यहां पर पशु का रंग आदि का वर्णन कीजिये) 15 वर्ष से अधिक आयु का है अथवा यह भारवाहन * तथा किसी प्रकार की कृषि क्रिया प्रजनन* के प्रयोजनों के लिये अनुपयुक्त तथा अनुपयोज्य है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि स्थायी अनुपयुक्तता या अनुपयोज्यता जानबूझ कर नहीं की गयी है। उक्त पशु का वध————(स्थान) पर किया जा सकता है।

सक्षम प्राधिकारी†

दिनांक————

जिला————

*सांड़ों की दशा में।

**बैलों की दशा में।

†सक्षम प्राधिकारी का पदनाम भी दीजिये।

———

प्रपत्र "ग"

रोगों के प्रमाण-पत्र के लिये प्रार्थना-पत्र

(नियम 6 देखिये)

सेवा में,

पशु चिकित्सा अधिकारी,

_____

सहायक पशु चिकित्सक

महोदय,

प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरे_____का (यहां पर पशुओं का रंग तथा लगभग आयु का वर्णन कीजिये) जिसके विषय में यह सन्देह है कि वह विज्ञापित सांस्पर्शिक या सांसर्गिक_____रोग से पीड़ित है, परीक्षण कीजिये और मुझे उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियमावली, 1964 के अपेक्षानुसार उक्त_____का वध करने के लिये एक प्रमाण-पत्र जारी कर दीजिये।

भवदीय,

हस्ताक्षर_____

पता_____

दिनांक_____

(सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जायेगा)

पशु का परीक्षण करने के लिये निश्चित दिनांक और स्थान_____प्रार्थी को_____ द्वारा दिनांक_____को सूचित किया गया।

दिनांक जब और स्थान जहां पर पशु का परीक्षण किया गया था_____

निष्कर्ष

पशु_____ रोग से पीड़ित है / पीड़ित नहीं है। निम्नलिखित कारणों से मैने यह निष्कर्ष निकाला है।

_____

_____

_____

दिनांक_____ पशु चिकित्सा अधिकारी/सहायक पशु चिकित्सक

जिला_____

प्रपत्र "घ"

रोगों का प्रमाण-पत्र

(नियम 7 देखिए)

मैं_____जो_____का पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सक हूं, ने_____की जांच कर ली है और मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हू कि इस बात की पुष्टि करने का उचित कारण है कि_____विज्ञापित सांस्पर्शिक रोग_____से पीड़ित है और उसका वध किया जा सकता है।

दिनांक_____ पशु चिकित्साधिकारी/सहायक पशु चिकित्सक

प्रपत्र "ङ"

वध की सूचना

(नियम 9 देखिये)

सेवा में,

पशु चिकित्सा अधिकारी,

_____

सहायक पशु-चिकित्सक

यह सूचना दी जाती है कि _____ का वध _____ (दिनांक) को _____ समय _____ (स्थान का नाम) के भू-गृहादि में पशुचिकित्सा अधिकारी/सहायक पशु चिकित्सक द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र संख्या _____ दिनांक _____ के आधार पर किया गया है।

दिनांक _____

_____

बधिक या स्वामी के हस्ताक्षर और पता

प्रपत्र "च"

चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिये गोमांस और गोमांसज पदार्थों को बेचने या परिवहन करने के लिये लाइसेन्स।

(नियम 12 देखिये)

लाइसेन्स का प्रतिपर्ण

पुस्तक-संख्या— क्रम-संख्या—

प्रपत्र "च"

चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिए गोमांस और गोमांसज पदार्थों को बेचने के या परिवहन करने के लिये लाइसेन्स।

(नियम 12 देखिये)

पुस्तक-संख्या क्रम-संख्या

श्री _____ आत्मज श्री _____ निवासी/मालिक _____ को, _____ की सीमाओं के भीतर, पंजीयित चिकित्सा व्यवसायी के परामर्श पर दिनांक 31 दिसम्बर, _____ 19 _____ तक की अवधि में _____ चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिये गोमांस और गोमांसज पदार्थों को बेचने या परिवहन करने अथवा तथा बेचने या परिवहन करने के लिये देने अथवा बिकवाने या परिवहन कराने की अनुज्ञा दी जाती है।

_____

लाइसेन्स प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

जारी करने का दिनांक _____ तक की अवधि के लिये नवीकृत किया गया।

_____ _____

_____ _____

_____ _____

लाइसेंस प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

_____

आज्ञा से,

अ० र० सिद्दीकी,

विशेष सचिव, पशुपालन।

प्रपत्र "छ"

राज्य के बाहर गाय, सांड़ या बैल के परिवहन के लिये अनुज्ञा-पत्र के निमित्त आवेदन-पत्र

(नियम 16 देखिये) [नियम 3 (1) देखिये]

सेवा में;

(सक्षम प्राधिकारी)

महोदय;

मैं आपसे———से———तक———(गन्तव्य स्थान का पता)———गाय/सांड़/बैल का (पशुओं का संक्षिप्त विवरण और लगभग आयु दिया जायगा) परिवहन करने के लिये अनुज्ञा-पत्र देने का अनुरोध करता हूं।

इन पशुओं का———प्रयोजन के लिये परिवहन किया जा रहा है।

भवदीय,

टिप्पणी:—यदि अनुज्ञा-पत्र न दिया जाय तो (नाम और पूरा पता) उसके कारण आवेदन-पत्र पर अभिलिखित किये जायें।

प्रपत्र "ज"

परिवहन के लिये अनुज्ञा-पत्र (तीन प्रति में)

[नियम 3 (2) देखिये]

श्री———आत्मज———निवासी———डाकखाना———पुलिस थाना———जिला———को एतद्द्वारा———प्रयोजन के लिये———से———तक (गन्तव्य स्थान का पता) रेल/सड़क द्वारा———गाय/सांड़/बैल का (पशुओं का संक्षिप्त विवरण) परिवहन करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

लाइसेंस प्राधिकारी का हस्ताक्षर, दिनांक और मुहर

प्रपत्र "झ"

गाय/सांड़/बैल का विक्रय प्रमाण-पत्र

[नियम 3 (7) देखिय]

प्रमाणित किया जाता है कि श्री———आत्मज———निवासी———डाकघर———पुलिस थाना———जिला———द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र संख्या———दिनांक के अधीन इस मेले/बाजार में———(गाय/सांड़ या बैल) ले आये और इस मेले प्रदर्शन/बाजार में———प्रयोजन के लिये———(गाय/सांड़/बैल) को बेचा।

मेला/प्रदर्शन बाजार के प्रबन्धक,
(आयोजक) का हस्ताक्षर और मुहर
स्थान, जिला और राज्य।

आज्ञा से,

आयुक्त एवं सचिव,
पशुधन, मत्स्य एवं डेरी विकास।